

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का कार्यालय, धालभूम जमशेदपुर।

दिनांक	आदेश	की गई कार्रवाई
31/12/19	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। अंचल अधिकारी मानगो के द्वारा लगान निर्धारण अभिलेख संख्या 05/19-20 प्राप्त हुआ है, जो मूल रूप से अभिलेख के साथ संलग्न है। अंचल अधिकारी मानगो के द्वारा लगान निर्धारण अभिलेख संख्या -05/19-20 में उल्लेख किया गया है कि- मौजा-अधिसूचित क्षेत्र मानगो, वार्ड नं0-08 खाता नं0-661 प्लॉट नं0- 3252 a,b रकबा-0.02.90हे0 भूमि हाल सर्वे खतियान के अनुसार सवराती मियाँ पिता अली मियाँ के नाम से दर्ज है। खतियान में काबिल लगान दर्ज है। वर्तमान में आवेदित भूमि पर आवेदक का दखल कब्जा में है। अंचल अमीन के द्वारा तैयार ट्रेश नक्शा एवं रेन्ट रोल तीन प्रति में संलग्न है। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक, अंचल अमीन एवं अंचल निरीक्षक मौजा-अधिसूचित क्षेत्र मानगो, वार्ड नं0-08 खाता नं0-661 प्लॉट नं0- 3252 a,b रकबा-0.02.90हे0 भूमि का वार्षिक लगान 1981 से 3/- रू0 प्रति कट्टा एवं वर्ष 1998 से 10 रूपया प्रति डिसमील अलावे सेस वसूली हेतु खतियानी रैयत सवराती मियाँ पिता अली मियाँ के नाम पर लगान निर्धारण हेतु अनुशंसा किया गया है।</p> <p>अतः अभिलेख में वर्णित तथ्यों, संलग्न कागजात, रेन्ट रोल, ट्रेश नक्शा अंचल अधिकारी मानगो के द्वारा स्वयं जाँचोपरांत एवं लगान निर्धारण हेतु की गई अनुशंसा के आलोक में मौजा-अधिसूचित क्षेत्र मानगो, वार्ड नं0-08 खाता नं0-661 प्लॉट नं0- 3252 a,b रकबा-0.02.90हे0 भूमि का वार्षिक लगान 1981 से 3/- रू0 प्रति कट्टा एवं वर्ष 1998 से 10 रूपया प्रति डिसमील अलावे सेस वसूली हेतु खतियानी रैयत सवराती मियाँ पिता अली मियाँ के नाम पर लगान निर्धारण की स्वीकृति दी जाती है।</p> <p>तदनुसार अभिलेख मूल में अग्रेतर कार्रवाई हेतु अंचल अधिकारी, मानगो को भेजें।</p>	
	<p>31/12/19 भूमि सुधार उप समाहर्ता, धालभूम, जमशेदपुर।</p>	<p>31/12/19 भूमि सुधार उप समाहर्ता, धालभूम, जमशेदपुर।</p>

आपांक 09 दिनांक 1/1/20  
प्रति लिपि - श्री लक्ष्मी कान्त सिंह, राजस्व उप  
निरीक्षक मानगो जिला को सूचनाक  
एवं डायनालन हेतु प्रेषित ।

4/1/20  
अंचल अधिकारी  
मानगो